THE DEPUTY CHAIRMAN: He means the entire textiles because Mr. Kotaiah's problem is about the handloom weavers.

श्री अशोक गहलोत : अभी दो तीन साल पहले आबिद हुसैन कमेटी जो बनी थी उसकी रिकमेंडेशस हमारे पास पेंडिंग पड़ी हुई हैं । जब तक उस पर फैसला नहीं करते हैं तब तक नयी पालिसी लाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है ।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, I seek your protection. (*Interruptions*)

SHRI PRAGADA KOTAIAH: The Minister has promised to place the Abid Hussain Committee report before the House ... (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: There must be complaints from all sides of the House. There is a crisis in the textile industry... (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Order, order. Mr. Gurudas Das Gupta, I know what you are telling. I will explain.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Just a minute, Madam. There are complaints from all quarters that there is a serious problem in the textiles. The Minister does not admit that there is a problem. At the same time, the Minister does not say that there is a complaint there is a serious problem and that he will review it. He says that he is going to restructure the NTC. How long will he take? Workers are not getting the wages. 5 textile mills in Kanpur are just...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: How long will the Government take?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Gurudas Das Gupta, please take your seat.

श्री अशोक गहलोत : मैडम एन०टी०सी० के सवाल... (**व्यवधान**)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I said, please take your seat. That is what I said.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Let the Minister speak.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Minister said that he has got this Abid Hussain Committee report.

SHRI PRAGADA KOTAIAH: There is no answer to my question.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 467.

Demand by advocates of M.P. for working in Hindi

*467. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that advocates in the State of Madhya Pradesh are agitating for working in Hindi language by the High Court and its benches in the State;

(b) if so, what remedial action Government have taken so far in this regard;

(c) whether Government propose to accept the demand of the advocates; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) No, Sir.

(b) to (d) Does not arise.

श्री सुरेश पचौरी : महोदया, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना

चाहूंगा कि मैंने अपने प्रश्न के भाग 'क' में यह पूछा था कि क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश राज्य में वकील उच्च न्यायलय तथा इसकी खण्ड न्यायपीठों में हिन्दी भाषा में काम करने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं ? उत्तर आया है—जी नहीं। हम मध्यप्रदेश के तीन संसद-सदस्य यहां मौजूद है और तीनों इस बात की पुष्टि करेंगे कि मध्य प्रदेश के वकील हिन्दी में काम करने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं, जबकि जवाब आया है कि आन्दोलन नहीं कर रहे हैं ।

श्री अजीत जोगी : इन्दौर में मुझे ज्ञापन दिया ।

श्री शान्ति त्यागी : अखबार में हमने पढ़ा है । ...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेश पचौरी : यह बहुत दुर्भाग्यजनक है । दूसरा, महोदया, हम एक तरफ "भारत छोड़ो आन्दोलन" की स्वर्ण जयन्ती मनाने जा रहे हैं । जिसमें हमारे आदरणीय स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों ने इस बात पर जोर दिया था कि हमारी मातृभाषा का प्रयोग होना चाहिए और जहां यह संभव नहीं तो कुछ जगह रीजनल भाषा का प्रयोग होना चाहिए । महोदया, आजादी मिले हुए हमें 46 वर्ष हो गए, लेकिन दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि हम हिन्दी भाषी राज्यों में अभी तक हिन्दी का प्रयोग वहां के न्यायालयों में नहीं कर पाए हैं । साथ में अंग्रेजी में भी निर्णय लिखने के लिए प्रावधान है । साथ ही जो ऐसे राज्य हैं, जहां हिन्दी भाषा का चलन नहीं है, वहां रीजनल भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि आम लोगों की भाषा में उनको न्याय सुलभ हो सके ।

महोदया, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से यह प्रश्न है कि क्या उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से वहां के वकीलों द्वारा जो मैमोरण्डम दिया गया है, हिन्दी में उच्च-न्यायलय और इसकी खण्डपीठों में काम प्रारंभ करने के लिए, उस पर कोई अनुशंसा प्राप्त हुई है ? तथा क्या मंत्री जी को, स्वयं को इस प्रकर की अनुशंसा प्राप्त हुई है और वे इस संबंध में क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ? साथ ही, इस प्रकार हिन्दी में कार्य प्रारंभ करने से मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालयों में कितना खर्चा बढ़ेगा ? क्या उन्होंने इस चीज का आकलन किया है ?

श्री हंसराज भारद्वाज : मैडम, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया, उस पर मैं इनको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में पहले से ही इस बात की अनमति है कि वहां के वकील हिन्दी म मुकदमों की बहस कर सकते हैं और जहां तक कि कोर्ट भी हिन्दी में जजमेंन्ट दे सकते हैं । यह बहुत पुरानी बात है कि मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट में हिन्दी लागू हो चुकी है । मुझे मालूम नहीं कि वहां के वकील हिन्दी में बहस अपनी हाई कोर्ट में क्यों नहीं करते, वह किस बात पर आन्दोलन कर रहे हैं ? जबकि गवर्नर ने वहां पर नोटिफिकेशन जारी कर दी है । मेरी जानकारी के अनुसार वर्ष 1989 में 774 मुकदमों के जजमेंट भी हिन्दी में आ चुके हैं । तो माननीय सदस्य को यह मालम होना चाहिए कि वहां पर कोई ऐसी बात नहीं है कि वकील हिन्दी में बहस नहीं कर सकते । ...(**व्यवधान**)... इसमें कोई ज्ञापन देने की क्या बात है । अगर हिन्दी में वह बहस करना चाहते हैं तो कोई रोक नहीं सकता उनको । चाहे इन्दौर में हो, जबलपुर में हो या ग्वालियर में हो, जहां पर भी हाई कौर्ट या हाई कोर्ट की सीट है, वहां कोई मना ही नहीं है । और, दूसरे राज्यों में भी हिन्दी में अनुमति पहले दी जा चुकी है । इसके बारे में अगर आप चाहें, तो यह राजस्थान में भी है, बिहार में भी है, इलाहाबाद में भी है । अगर वकील बहस खुद न करना चाहें और खाली आन्दोलन से यह बहस करना चाहें तो वह उनकी मर्जी ।

श्री सुरेश पचौरी : महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जनाकरी लेना चाहूंगा कि हमारे देश में ऐसे कितने राज्य हैं, जहां आपने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि हाई कोर्ट में केवल हिन्दी में निर्णय दिया जा सके तथा ऐसे कितने राज्य हैं, जहां वहां की

रीजनल लेंग्युजेज में निर्णय लिया जा सके। यदि रीजनल लेंग्युजेज में निर्णय न देने की परम्परा है, तो आप उसको कब तक प्रारंभ करने जा रहे हैं ?

श्री हंसराज भारद्वाज : महोदया, कंस्टीट्यूशन के आर्टिकल-348 के तहत गवर्नर को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति महोदय से इस बात पर सलाह करके वहां पर अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भी भाषा में बहस और मुकदमे के जजमेंट देने की अनुमति दे सकते हैं। इसके तहत हिन्दीभाषी राज्यों में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पहले ही इस बात पर निर्णय हो चुका है। दूसरी जगह आपको मालूम है कि वहां कठिनाई है, साऊथ की कठिनाई है, नोर्थ ईस्ट की कठिनाई है। तो जहां-जहां पर अपनी रीजनल लेंग्युजेज को अगर कोर्ट में लागू करना चाहते हैं तो गवर्नर प्रेजीडेंट आफ इंडिया से सलाह करके ऐसा निर्णय ले सकते हैं। इसमें हमारी तरफ से सीधी नीति है कि जब तक वहां की राज्य सरकारें अपने गवर्नर के जरिए राष्ट्रपति जी को रिक्वैस्ट नहीं करती, तो यहां से निर्णय लेना कठिन है, जैसे साउथ का, नोर्थ का और जितनी भी अन्य जगह हैं, वहां का। लेकिन चार राज्य पहले निर्णय ले चुके हैं, जिन के नाम मैंने आपको बताए हैं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Manpower review by D.R.D.O.

*463. DR. SANJAYA SINH: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether a Zero-based manpower review had been initiated and a Committee had been formed by the D.R.D.O. to review the manpower requirements in its various laboratories;

(b) if so, what are the findings of the review as mentioned above; and

(c) what follow up action Government propose to take in the market?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SHARAD PAWAR): (a) Yes Sir.

(b) As a first step, Zero-based manpower review of 15 labs/estts has been undertaken recently, which is under progress.

(c) The manpower authorisation of R&D labs/estts is proposed to be revised based on Zero-based manpower review.

Diversification of Jute Products on Account of Bio-degradability of Jute Fibre

*468. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that jute fibre is bio-degradable;

(b) whether it is also a fact that in the light of the Rio Earth Summit and new environment consciousness, developed and industrialised countries now prefer bio-degradable packages;

(c) if so, whether Government plan to diversify jute products for this new export oriented perspective; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) Yes, Sir.

(b) The growing environment consciousness is expected to result in preference for usage of biodegradable material for packaging.

(c) and (d) Government have laid special emphasis on reorientation of